समाहरणालय जमुई

जिला योजना कार्यालय

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री सात निश्चय कार्यक्रम के तहत जमुई जिले के ईटासागर पंचायत, ग्राम--धधौर में जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र का संचालन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 150 आवेदक/अभिभावक एवं जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र में कार्यरत 40 कर्मियों सहित 200 व्यक्तियों की उपस्थिति कार्य दिवस में रहती है। जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र में एक कैंटीन का भी निर्माण किया गया है। कैंटीन के संचालन के लिए इच्छुक व्यक्ति/स्वयं सेवी संस्था/फर्म से दिनांक 6.10.2017 को पूर्वाह्न 12 बजे तक जिला योजना कार्यालय में मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। मुहरबंद निविदा उसी दिन यानि दिनांक 6.10.2017 अपराह्न 5:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदा खोलते समय निविदादाता स्वयं या उनके प्रतिनिधि भाग ले सकते है। जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र में कैंटीन का क्षेत्रफल 440.75 Sq. ft. है, जिसका प्रतिमाह न्यूनतम किराया मो0 3998.00 (तीन हजार नौ सौ अन्ठान्वे) का दर निर्धारित किया गया है।

सामान्य शर्ते :--

1. कैंटीन संचालक को जलपान, चाय, कॉफी एवं भोजन आदि समयानुसार व्यवस्था करनी होगी।
2. कैंटीन संचालक गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ/पेय पदार्थ तैयार करेंगे जिसकी गुणवत्ता की जाँच समय-समय पर Food Inspector के द्वारा की जाएगी।
3. गुणवत्तापूर्ण सामग्री नहीं रहने पर उनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
4. कैंटीन संचालक कैंटीन की साफ--सफाई एवं लाईट की व्यवस्था रखेंगे।
5. कैंटीन संचालक सभी सामग्रियों के दर की सूची सूचना बोर्ड पर अंकित करेंगे।
6. समय-समय पर जिला पदाधिकारी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाएगा।
7. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफों में समर्पित किया जाएगा।

तकनीकी निविदा की शर्ते :--

1. निविदादाता यदि कोई व्यक्ति/फर्म हों तो उसे GST निबंधन प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को पैन कार्ड की प्रति समर्पित करना होगा।
3. निविदादाता को अनुभव में उक्त कार्य में सरकारी या गैर सरकारी संस्थान का अनुभव संबंधी प्रमाण--पत्र देना आवश्यक।
4. निविदादाता को आयकर दाता होने का प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा एवं पूर्व में काली सूची में न डाले जाने संबंधी प्रमाण--पत्र जमा करना होगा।
5. निविदादाता को अग्रधन के रूप में जिला पदाधिकारी, जमुई के पदनाम से 5000.00 (पाँच हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।

वित्तीय निविदा की शर्ते :--

1. न्यूनतम किराया से नीचे की निविदा स्वीकार नहीं होगी।
2. सभी निविदादाता का दर अगर समान पाया जाता है तो उस परिस्थिति में लॉटरी के माध्यम से निविदा की जायेगी।
3. निविदादाता को उपर वर्णित कार्यो के लिए आपूर्ति किए जाने वाली सामग्रियों का दर Items Wise एवं किराया का दर विहित प्रपत्र में देना होगा, जिसे जिला योजना कार्यालय, जमुई से कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता।

- सफल निविदादाता को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व इस आशय का एकरानामा दाखिल करना होगा कि किसी प्रकार की कमी पाए जाने की स्थिति में एकरारनामा रद्द समझा जाएगा।
- निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय रद्द करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

जिला पदाधिकारी

जमुई

समाहरणालय जमुई

जिला योजना कार्यालय

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री सात निश्चय कार्यक्रम के तहत जमुई जिले के ईटासागर पंचायत, ग्राम–धधौर में जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र का संचालन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 150 आवेदक/अभिभावक एवं जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र में कार्यरत 40 कर्मियों सहित 200 व्यक्तियों की उपस्थिति कार्य दिवस में रहती है, जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र में स्टेशनरी एवं अन्य सामग्रीयों के बिक्री हेतु दो दुकान का भी निर्माण किया गया है। दुकान के संचालन के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म से दिनांक 06.10.2017 को पूर्वाह्न 12 बजे तक जिला योजना कार्यालय में मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। मुहरबंद निविदा उसी दिन यानि दिनांक 06.10.2017 अपराह्न 5:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदा खोलते समय निविदादाता स्वयं या उनके प्रतिनिधि भाग ले सकते है। जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र में दुकान संख्या–1 का क्षेत्रफल 85.5 Sq. fit. है, जिसका प्रतिमाह न्यूनतम किराया मो0 775.00 (सात सौ पचहत्तर) एवं दुकान संख्या–2 का क्षेत्रफल 83 Sq. fit. है, जिसका प्रतिमाह न्यूनतम किराया मो0 753.00 (सात सौ तिरपन) की दर निर्धारित किया गया है।

सामान्य शर्ते :–

1. निविदादाता यदि कोई व्यक्ति/फर्म हो तो उसे GST निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को आयकर दाता होने का प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा।
3. निविदादाता को पैन कार्ड की प्रति समर्पित करना होगा।
4. निविदादाता को दुकान के लिए न्यून्तम दर अंकित करना होगा।
5. निविदादाता को अग्रद्यतन के रूप में जिला पदाधिकारी, जमुई के पदनाम से 5000.00 (पाँच हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।

❖ सफल निविदादाता को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व इस आशय का एकरानामा दाखिल करना होगा कि किसी प्रकार की कमी पाए जाने की स्थिति में एकरारनामा रद्द समझा जाएगा।

❖ निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय रद्द करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

8/9/17

जिला पदाधिकारी
जमुई